IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 9, March 2025
Impact Factor: 7.67

भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की अवधारणा

राकेश हारोड़

पी.एच.डी.शोधार्थी, विक्रम विश्वविधालय उज्जैन

डॉ. अंतिम बाला पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक, प्रशांति कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, उज्जैन

प्रस्तावना –

"वे कहते है की अगर आप विकलांग है या अपंग है तो इसमें आपकी कोई गलती नही है, और साथ ही दुनिया को दोष देने या अपने ऊपर किसी दया की उम्मीद करना सही नही है। बस आपके भीतर सकारात्मक विचार होने चाहिए और स्थिती के अनुसार जितना हो सकें अपना अच्छा योगदान देना चाहिए । अगर मनुष्य अपंग है तो उसे अपने मन से अपंग या विकंलाग नही होना चाहिए। "

–स्टीफन हॉकिंग–

स्टीफन हॉकिंग मोटार न्यूरान नामक गंभीर बीमारी से ग्रसीत होने के बाद भी संसार के र्सवश्रेष्ठ वैज्ञानिको में सुमार थे। अपनी दिव्यागंता को कभी बाधा नही बनने दिया । अपनी कमजोरी को ताकत बनाया ।

इसी प्रकार सभी बालक एक समान नहीं होते हैं,उनमें वैयक्तिक विभिन्नताएँ होती हैं। बालकों में असमानताएँ बौद्धिक व शारीरिक विषमताओं के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए जो बच्चें सामान्य बच्चों से अलग प्रकार के होते है,उन्हैं विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जाती है। विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ असमानता तथा विशेषताएं पाई जाती हैं , इनमें विभिन्नताए की चरम सीमा वाले बालक विशिष्ट बालको की श्रेणी में आते है। किन्तु ऐसे बालक अपने आप को समाज से अलग कटा हुआ महसुस करते लगते है, और उसके अन्दर हीन भावना घर करने लगती है। विभिन्न शिक्षाविदों ने यह महसुस किया कि यदि सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाये तो दोनों एक दुसरे के नजदीक आयेंगे ,जिससे असर्मथ्य बालको में जीवन के प्रति चुनौती और सामान्य बालको में उनके प्रति सहानुभूति का भाव विकसित होगा। इस प्रकार से समाज की मुख्यधारा से जुडने का अवसर भी प्राप्त होगा।

समावेशी शिक्षा–

माइकल एफ. फिनग्रेस के अनुसार – " समावेशी शिक्षा मूल्यों,सिद्धान्तों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए वह विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों ,प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। "

समावेशी शिक्षा विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृति है जिसके अन्तर्गत विविध क्षमता वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करतें है। समावेशी शिक्षा दर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों की भाँति विकसित होने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

समावेशी शिक्षा से आश्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है,जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य ,बिना किसी भेदभाव के, एक साथ ,एक ही विद्यालय में ,सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ ,उसकी सीखने–सिखाने की

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 9, March 2025 Impact Factor: 7.67

जरूरतों को पूरा किया जाये। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृती है, जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करतें हैं।

बच्चों को सामाजिक सर्म्पक, भावनात्मक संवर्धन और व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसर उपलब्ध कराएं जाएं। प्रत्येक बच्चे में विषेश सामर्थ्य है जिसे प्रस्फुटित होने का अवसर मिले। शिक्षा के भितर सर्वाधिक ढंग से निष्पक्षता के होने का अर्थ है कि हर एक विद्यार्थी का अलग से ध्यान रखा जाए और उसे शिाक्षण के ऐसे तरीके ,विषय वस्तु और पद्धतियों मुहैया कराई जाएं जो उसकी विशेष जरूरतों, सशक्त पहलुओं रूचियों के अनुकूल हों।

भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा —

भारत में समावेशी शिक्षा का आदिकाल में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाज्ञानी अष्टावक्र है। जिनका शरीर 8 जगह से वक्राकार था । जो सभी विषयो में पारंगत थे ,एक बार शास्त्रार्थ के प्रथम सर्ग में उद्दालक एवं कहोल के मध्य सवांद में कहते है कि अष्टावक्र के पश्चात विकलांगो को समाज द्धारा अधिकारो से अब वंचित नही किया जाएगा । उनसे अब और अधिक अनुचित लाभ नही उठाया जाएगा ,वे अब विकलांगो को शुभ संस्कारो पर अपशकुन नही समझा जाएगा । उनके साथ अब समानता का व्यवहार किया जाएगा।

इसी प्रकार चर्तुथ सर्ग में सुजाता से वार्तालाप करते हुए उद्दालक कहते है,कि यह धारणा है कि विकलांग परिवार पर बोझ है और उपेक्षणीय है। वे विकलांगो के अपमान एवं तिरस्कार के विरूद्ध चेतावनी देते हुए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का परार्मश देते है। अन्याय विकलांग के अश्रुबिन्दु उन्है पीड़ित करने वालो को वज्र के समान बनकर दण्डित कर सकते है। विकलांग को हास्य का पात्र बनाना कदापि उचित नही है क्योकि वे भी उसी शिल्पी की कृति है,जिसने सम्पुर्ण सृष्टि का सृजन किया । अष्टावक्र दूनिया के ऐसे क्यक्ति थे जिन्होने सत्य को जैसा जाना वैसा ही कह दिया वे न कवि थे और न ही दार्शनिक थे।

" भार है विकलांग क्या परिवार का , क्या उपेक्ष्या पात्र वह सकलांग का ,
जगत को र्जजरित कर देगी झटिति, यह विषम अवधारणा कुसमाज की। "

अन्त में गीता –सार यह है कि शरीर की शक्ति –सौंदर्य का गुमान न कर ,परमात्मा ज्ञान के लिए तन मन चित्त को लगाना चाहिए यही अन्तिम सत्य है ,शेष सब मिथ्या है।

भारत में समावेशी शिक्षा का विकास –

विशिष्ट बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय एतेहासिक परिप्रेक्ष्य पश्चिम से अधिक भिन्न नहीं है। भारत में इन बालकों को अत्यधिक अपमान सहन करने पड़े ,इन्है किसी भी स्थान पर आने जाने की भी अनुमती नहीं थी । धीरे–धीरे सामान्य लोगों की भाँती विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का उदय होना प्रारम्भ हो गया था। समाज तथा अभिभावक भी अब इनकी आवश्यकताओं को बोझ न समझकर उनकी प्राप्ती हेतु तत्पर होने लगे। समय परिर्वतन के साथ साथ निर्योग्य बालकों के लिए विभिन्न विद्यालय स्थापित किए गए। विषिश्ट शिक्षा हेतु कोठारी कमीशन 1964–66 ने कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापकता का लक्ष्य बालकों के समावेशी समूह की शिक्षण क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करते है। जब तक बालकों के इस समूह के लिए उपयुक्त सेवाएँ उपलब्ध नही कराई जाती ,बाधित बालकों की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्रारम्भिक अवस्था में कम होगा । किन्तु समय के साथ 90 प्रतिशत बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगें।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 9, March 2025 Impact Factor: 7.67

राष्ट्रीय नीति 1986 में यह दृढतापूर्वक कहा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के समान होनी चाहिए।

1986 तथा 1992 का क्रियान्वयन का प्रारूप स्थापना के सिद्धान्तों को अपनाने की सलाह देता है। इसका ऐसा मानना है कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में सम्भव है, उनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए विशिष्ट स्कूलों में नही । शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा प्रभावशाली शिक्षा में प्रवेश करें इसकी स्वयं सीद्धियां निम्न है–

1. सामान्य बालकों के अनुरूप बाधित बालकों के स्कूल छोड़कर जाने में कमी करना । उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था करना।
2. बाधित बालकों का माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट संसाधन उपलब्ध कराना तथा इन बालकों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
3. सेवाओं से पहले या सेवायुक्त शिक्षको के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को बार बार दोहराना जो कक्षा में विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने में सहायक हो। ऐसे छात्रो को अधिक प्रोत्साहन देना।
4. शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों की शिक्षण एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं की पुर्ति के लिए सामान्य नियमों से हटकर शिक्षाके कार्य–प्रारूप बनाना तथा उनका पुनः अभिविन्यास करना।
5. विशिष्ट शिक्षण संस्थाएँ आवासीय सुविधा के साथ स्थापित हो।
6. शारीरिक रूप से बाधित बालको की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयास प्रत्येक सम्भव दिशा में किए जाएँगे।
7. दिव्यांगों की शिक्षा को सामाजिक कल्याण के रूप में देखा जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान और एन.सी.एफ. 2005 के अनुसार –

1. सर्व शिक्षा योजना में यह निश्चित है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालको की उनकी विभिन्नताओं के बावजूद भी दूसरे सामान्य बालको की तरह सामान्य अवसर प्राप्त हो।
2. विशिष्ट बालकों नामांकन सामान्य विद्यालयो में ही कराया जायेगा।
3. विशिष्ट बालकों की शिक्षा का कार्यभार सँभालने वाले शिक्षकों को सभी सुविधाए प्रदान की जावे।
4. असर्मथता से बचाव तथा पुनर्वास माध्यम हो।
5. व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास होना चाहिए।
6. असमर्थी बालकों के लिए एकिकरण शिक्षा नीति हों।
7. अवरोध रहित वातावरण ।
8. असर्मथता का प्रमाण पत्र देना ।
9. सामाजिक सुरक्षा।
10. कानुन अभिभावक प्रावधान।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 9, March 2025 Impact Factor: 7.67

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार –

नई शिक्षा नीति में समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम शिर्षक में समावेशी शिक्षा के सम्बंध विस्तृत रूप से योजना बनाई गए है जिसे निम्न बिन्दुओ से समझा जा सकता है–

1. स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायो के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती हैं जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है।
2. स्कूल शिक्षा नीति में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी।
3. 3.यह नीति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के निए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है।
4. ईसीसीई में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विधालय परिसरो को विकसीत करना।
6. विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों को निरंतर मदद प्रदान करना।
7. विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इस हेतु शिक्षको को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना ।
8. विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को उपलब्ध छात्रवृति ,अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने के लिए सरल व्यवस्था स्थापित करना।
9. विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना ।
10. विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही समान अवसर प्रदान करना।

उपरोक्त बिन्दूओ के आधार से समावेशि शिक्षा को सर्वव्यापी और सर्वस्पशी बनाने के विभिन्न प्रयास समय –समय पर किये जा रहे है।

निष्कर्ष –

सनातन काल से आज तक समावेशी शिक्षा अपनी सार्थक भूमिका निभाती रही हैं। किन्तु अभी और प्रयास करने अवश्यकता है,जो सभी के लिए उपयागी होगी। इसके समर्थ भूमिका में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को दूर करके यह हासिल किया जा सकता है। निश्चित रूप से आधुनिक सोच के रूप हो सकती है। विभिन्नता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली यह समावेशी शिक्षा यदि अपने संक्रियात्मक लक्ष्य को पाती है तो समाज में आमूल–चूल परिर्वतन की गुंजाइश होगी।

संदर्भ–

1. शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे –डॉ. दीपिका त्यागी शर्मा
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
3. समावेशी शिक्षा एनसीईआरटी
4. शोध गंगा